माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर, कैम्प-उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2002-03 निगरानी -184- II/2004

रायसिंह पिता मानाजी गायरी,
निवासी-ग्राम टिडवास, तेहसील-मल्हारगढ, जिला-
मंदसौर (म0प्र0) ----------आवेदक

-----विरूद्ध-----

1. रमेशचन्द्र उर्फ रामेश्वर, पिता-मांगीलाल,
अवयस्क, द्वारा-संरक्षक मांगीलाल पिता उदयलाल,
गायरी, निवासी-अफजलपुर, जिला-मंदसौर

2. देवीलाल पिता शिवलाल गायरी,
निवासी-टकरावद, तेहसील-मल्हारगढ, जिला-
मंदसौर (म0प्र0) ----------अनावेदक

निगरानी धारा 50 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 176/निगरानी/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 10/12/2003 के विरूद्ध.

माननीय महोदय,

आवेदक द्वारा निम्नलिखित निगरानी सविनय प्रस्तुत है :-

:: आ धा र ::

(1) यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं रेकॉर्ड के विपरीत होकर निरस्तकरणीय है ।

(2) यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर कोई कारण दर्शाये आवेदक की निगरानी निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है ।

(3) यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की से प्रस्तुत तर्क एवं लिखित बहस का अवलोकन या विवेचन किये बगैर निगरानी

.....2

(97)

(95)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी/184/दो/2004

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30-8-19 | आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 27/03/2010 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।<br><br>(महेश चन्द्र चौधरी)<br>सदस्य | |